न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 35/2018 ::

अपीलांट :–	बनाम	रेस्पोडेन्टगण :–
राजूसिंह पुत्र देवीसिंह जाति रजपूत निवासी कान्दरा, तहसील पाली जिला पाली (राज.)		मृतक राजूसिंह पुत्र देवीसिंह जाति रजपूत निवासी कान्दरा, तहसील पाली, जिला पाली (राज.) के कायम मुकाम 1. कल्याणसिंह पुत्र राजूसिंह 2. कुशालसिंह पुत्र राजूसिंह 3. श्रवणसिंह पुत्र राजूसिंह 4. इन्दरा बेवा राजूसिंह जातिगण रजपूत निवासीगण कान्दरा, तहसील पाली जिला पाली (राज.) 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पाली (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री मदन दास वैष्णव
रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री वीरमाराम मीणा

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 12/10/2018

अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 468 दिनांक 29.05.2017 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 सुनी गई।

वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम जोड़ कान्दरा, पटवार हल्का कान्दरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पाली, तहसील पाली, जिला पाली में खसरा नम्बर 30 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा किस्म नहरी सोयम अपीलाण्ट की कब्जा–काश्त सुदा खातेदारी भूमि स्थित है। अपीलाण्ट ग्राम कान्दरा का निवासी है तथा इसी ग्राम में एक अन्य व्यक्ति राजूसिंह पुत्र देवीसिंह जाति रजपूत जिसका नाम, वल्दियत एवं जाति सभी अपीलाण्ट के समान ही है। जिनक देहान्त दिनांक 07.01.1998 को हो चुका है, जिनके ग्राम जोड़ कान्दरा में उनके भाई सवाईसिंह के साथ शामलाती भूमि खसरा नम्बर 41 रकबा 10 बीघा, खसरा नम्बर 94 रकबा 10 बीघा व खसरा नम्बर 139 रकबा 10 बीघा किस्म नहरी सोयम स्थित है। जो उनके देहान्त पश्चात उनके विधिक वारिशानों ने उक्त आराजी का फौतेदगी नामान्तरकरण उनके नाम अमल दरामद करने हेतु हल्का पटवारी को प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर हल्का पटवारी ने न तो कोई जांच की तथा न ही कोई सुनवाई की तथा न ही जिस आराजी का नामान्तरकरण भरा उसके संबंध में मौके पर किसका कब्जा है, बाबत तस्दीक की, मात्र कागजी कार्यवाही करते हुए मृतक राजूसिंह के वारिशान रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 4 के नाम न सिर्फ उनके पिता की शामलाती 30 बीघा भूमि बल्कि

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

उसी गांव के दुसरे व्यक्ति (अपीलाण्ट) जिनका नाम, वल्दियम एवं जाति उनके पिता/पति के समान है, उनकी भी खसरा नम्बर 30 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि को भी उनके नाम फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 468 में अमल दरामद कर दिया। इस प्रकार हल्का पटवारी द्वारा राजस्व रेकर्ड में मात्र एक समान नाम, वल्दियत, जाति व निवास स्थान होने में जीवित व्यक्ति की भूमि को भी उसी नाम के मृत व्यक्ति के विधिक वारिशान के नाम नामान्तकरण भरकर भारी विधिक भूल की है। जिसे सुधारा जाना न्यायोचित है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 468 दिनांक 29.05.2017 निरस्त कर पुनः ग्राम जोड़ कान्दारा के खसरा नम्बर 30 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा की आराजी अपीलाण्ट के नाम दर्ज करने का आदेश फरमावे। जिससे अपीलाण्ट उसकी भूमि के संबंध में अपने हक अधिकार का विधिवत उपयोग कर सकें। जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी अपीलाण्ट को प्रथम बार दिनांक 19.06.2018 को हुई, जब उसने खसरा नम्बर 30 की जमाबंदी की नकल प्राप्त की, फिर उसने नामान्तरकरण संख्या 468 की नकल ली तो उसे अपनी भूमि किसी दूसरे राजूसिंह के वारिशान के नाम हो जाने की जानकारी हुई, तो उसी दिवस अपीलाण्ट द्वारा तहसील कार्यालय पाली में उक्त नामान्तरकरण एवं जमाबंदी की नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जो उसे दिनांक 21.06.2018 को शाम को प्राप्त हुई तब वकील से मिलकर 26.06.2018 को अपील श्रीमान के समक्ष पेश की गई। अपील में हक अधिकारों का प्रश्न होने से अपील जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 ने बहस के दौरान कथन किया कि उनके पिता/पति मृतक राजूसिंह पुत्र देवीसिंह रजपूत का निधन दिनांक 07.01.1998 को होने से उनके नाम शामलाती खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 41 रकबा 10 बीघा, खसरा नम्बर 94 रकबा 10 बीघा व खसरा नम्बर 139 रकबा 10 बीघा किस्म नहरी सोयम जो की ग्राम जोड़ कान्दरा, पटवार हल्का कान्दरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पाली, तहसील पाली, जिला पाली में स्थित थी, जिसके फौतेदगी नामान्तरकरण हेतु उन्होंने हल्का पटवारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर हल्का पटवारी ने उनके नाम उनकी भूमि के अलावा ग्राम के अन्य राजूसिंह पुत्र देवीसिंह रजपूत की भूमि भी राजस्व रेकर्ड में उनके नाम कर दी। जिसकी जानकारी उन्हें श्रीमान के सम्मन प्राप्त होने पर हुई। इस संबंध में वे अपनी सहमति जाहिर करते है कि नामान्तरकरण संख्या 468 दिनांक 29.05.2017 में अंकित खसरा नम्बर 30 रकबा 12.18 बीघा किस्म नहरी सोयम की भूमि उनकी न होकर अपीलाण्ट राजूसिंह पुत्र देवीसिंह रजपूत की ही है एवं उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का ही कब्जा है तथा अगर पुनः उपरोक्त आराजी उनके नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की जाती है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई जैर अपील नामान्तरकरण एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील में अपीलाण्ट के हक अधिकारो का प्रश्न होने से अपील जानकारी से अन्दर म्याद मानी जाती है। प्रस्तुत अपील में अपीलाण्ट की ग्राम जोड़ कान्दरा, पटवार हल्का कान्दरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पाली, तहसील पाली, जिला पाली में खसरा नम्बर 30 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा किस्म नहरी सोयम कब्जा–काश्त सुदा खातेदारी भूमि स्थित है। जो कि उसी ग्राम के अन्य व्यक्ति जिसका समान नाम, वल्दियत, जाति व स्थान होने से उसके फौतेदगी नामान्तरकण में पटवारी की त्रुटि से मृत व्यक्ति की शामलाती भूमि खसरा नम्बर 41 रकबा 10 बीघा, खसरा नम्बर 94 रकबा 10 बीघा व खसरा नम्बर 139 रकबा 10 बीघा किस्म नहरी सोयम के साथ

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

अपीलाण्ट की भूमि भी मृत व्यक्ति के विधिक वारिशान के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गई। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 तक ने भी अपनी बहस में कथन किया है कि जैर अपील नामान्तरकरण में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 30 रकबा 12.15 बीघा अपीलाण्ट की ही है तथा हल्का पटवारी की त्रुटी के कारण एवं अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 के पिता/पति के समान नाम, वल्दियत, जाति एवं गांव होने से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 नाम दर्ज हो गई है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम कान्दरा खसरा नम्बर 30 रकबा 12.18 बीघा की भूमि अपीलाण्ट की है तथा नामान्तरकरण संख्या 468 में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 के नाम गलत इन्द्राज हो गई है। हल्का पटवारी द्वारा जैर अपील नामान्तकरण भरने से पूर्व मृतक के वारिशान को सुनवाई का पुरा मौका दिया जाना चाहिए था, जो उन्हें नहीं दिया गया तथा न ही यह तस्दीक किया गया की जैर अपील आराजी पर किसका कब्जा है, जबकि जिस आराजी का नामान्तकरण भरा जा रहा हो, उस पर किसका कब्जा है इसकी तस्दीक किया जाना एक आज्ञापक प्रावधान है। उपरोक्त प्रक्रिया हल्का पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक आदि द्वारा नहीं अपनाई गई हैं जिससे अपीलाण्ट की भूमि का इन्द्राज भी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 के नाम हो गया उपरोक्त तथ्यों को वकील रेस्पोडेण्ट भी सहमत है एवं अपीलाण्ट को सख्त प्रिज्यूडिश हुई है, इसलिए अपीलाण्ट की खातेदारी आराजी को उसके नाम पुनः दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

परिणाम स्वरूप अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 468 दिनांक 29.05.2017 ग्राम जोड़ कान्दरा पटवार हल्का कान्दरा तहसील पाली को अपास्त किया जाता है एवं इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर देने बाद रेकर्ड एवं कब्जे की जांच के उनके अपने–अपने हक अधिकारों की भूमि के बाद तस्दीक करने सही इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में स्व. राजूसिंह पुत्र देवीसिंह रजपूत की खातेदारी आराजी का इन्द्राज उसके वारिसान रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 के नाम जरिये फौतेदगी नामान्तरकरण किया जावे तथा अपीलाण्ट राजूसिंह पुत्र देवीसिंह रजपूत जो जिवित है उसकी खातेदारी आराजी का उसके स्वयं के नाम इन्द्राज बदस्तूर पूर्वानुसार बहाल रखा जावें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ मूल नामान्तरकण तहसीलदार पाली को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 12/10/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)